न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/269

1. बद्री आयु 58 वर्ष आत्मज श्री श्रवण जाति चमार (बैरवा) ।
2. रामस्वरूप आयु 60 वर्ष आत्मज श्री श्रवण जाति चमार (बैरवा) ।
3. रामदेव आयु 62 वर्ष आत्मज श्री श्रवण जाति चमार (बैरवा) निवासीगण ग्राम चावडपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।
2. श्रीमान् तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता महोदय, सिंचाई विभाग नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा की आराजी खसरा नम्बर 09/2 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 10 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 46/3 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 565/9/1 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 5 है जिसका सम्पूर्ण रकबा 73 बीघा 05 बिस्वा गैर मु0 तलाब है । उक्त भूमि पर वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद से ही उक्त भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पर वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर व मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करने के अभाव में पुनः खातेदार घोषित करवाये विकल्प में वादीगण को दूसरी जगह 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 के द्वारा वादी का वाद सारहीन होना मानते हुए खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का वाद विरूद्ध रेस्पोडेन्ट डिक्री फरमाया जावे और उक्त प्रकरण को समुचित सुनवाई व वादीगण की शहादत व दस्तावेज लेकर निर्णित करने हेतु पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । उक्त वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन तालाब सिंचाई विभाग के खातेदारी में दर्ज है जो सिंचाई विभाग को अवाप्त की जा चुकी है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से अन्तर्गत गैर मुमकिन तालाब सिंचाई विभाग के खातेदारी की भूमि को किसी व्यक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने जिस भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है वह भूमि गैर मुमकिन तालाब सिंचाई विभाग के खातेदारी में दर्ज है जो सिंचाई विभाग को अवाप्त की जा चुकी है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से अन्तर्गत गैर मुमकिन तालाब सिंचाई विभाग के खातेदारी की भूमि को किसी व्यक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं किया जा सकता । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 17.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 25.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/269

1. बद्री आयु 58 वर्ष आत्मज श्री श्रवण जाति चमार (बैरवा) ।
2. रामस्वरूप आयु 60 वर्ष आत्मज श्री श्रवण जाति चमार (बैरवा) ।
3. रामदेव आयु 62 वर्ष आत्मज श्री श्रवण जाति चमार (बैरवा) निवासीगण ग्राम चावडपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।
2. श्रीमान् तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता महोदय, सिंचाई विभाग नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 137/दावा/2012

1. बद्री आयु 58 वर्ष आत्मज श्री श्रवण जाति चमार (बैरवा) ।
2. रामस्वरूप आयु 60 वर्ष आत्मज श्री श्रवण जाति चमार (बैरवा) ।

3. रामदेव आयु 62 वर्ष आत्मज श्री श्रवण जाति चमार (बैरवा) निवासीगण ग्राम चावडपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।
2. श्रीमान् भू–स्वामी तहसीलदार, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता महोदय, सिंचाई विभाग नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 25.04.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री नवेद केसर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 17.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 25.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा